पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को अस्थायी कोको आउटलेट्स का आबंटन कुल 195 अस्थायी कोको आउटलेट्स आबंटित किये गये, जिनमें 114 महिला लाभार्थियों को आबंटित हुये

Posted On: 19 JUL 2017 6:27PM by PIB Delhi

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, जनजाति मामलों के मंत्री श्री जुआल ओराम तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को अस्थायी कोको आउटलेट्स के आबंटन पत्र प्रदान किये।

इस पहल की शुरूआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बाबासाहेब अम्बेडकर के समग्र भारत निर्माण के दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलों के एक हिस्से के रूप की गई है। इस पहल का उद्देश्य गरीब, हाशिए पर रहने वाले और समाज के वंचित वर्गों के लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाना है, जिसकी परिकल्पना डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने की थी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पिछले वर्ष अनुमोदित की गई इस योजना में किये गये संशोधन में अस्थायी कोको आउटलेट्स का आबंटन लंबित अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, लेटर ऑफ इन्टेंट होल्डर (आशय पत्र धारकों) और जिनके माता-पिता की कोई आय नहीं है, ऐसी 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं और अविवाहित महिलाओं को आबंटित करने का प्रावधान है।

संशोधित योजना उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के डीलरों को सहायता उपलब्ध कराती है, जिन्होंने रिटेल आउटलेट्स सरकार या सरकारी निकाय द्वारा जमीन का अधिकरण करने के कारण गवां दिये है या ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लेटर ऑफ इन्टेंट धारक जिन्हें रिटेल आउटलेट्स सौंपे गये थे, लेकिन वे न्यायालय मामले या कानूनी विवाद के कारण उनका कब्जा बरकरार नहीं रख सकें।

इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों को पहुंचाने की एक पहल के रूप में तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति, लेटर ऑफ इन्टेंट धारकों/डीलरों ने अस्थायी कोको आउटलेट्स के आबंटन के लिए लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने के लिए स्वीकृति दी है। 195 लाभार्थियों में से 114 महिलाएं है, इनमें 53 अनुसूचित जाति, 15 अनुसूचित जनजाति, 46 विधवाएं और 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं है।

इस योजना के एक हिस्से के रूप में लाभार्थियों को संबंधित तेल विपणन कंपनी द्वारा सभी मूल सुविधाओं से युक्त और पूरी तरह विकसित रिटेल आउटलेट्स के सौंपे जाएंगे। इसके अलावा इन आउटलेटों को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी।







वीके/आईपीएस/जीआरएस-3057

(Release ID: 1496279) Visitor Counter: 11

